

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाक्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोंक
मुकाम टोंक व अलजाम रतनलाल योगी, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित
प्रकरण संख्या- 102/2019

उनवान

1. मोहम्मद आरिफ पुत्र स्व० मोहम्मद युनूस जाति मुसलमान निवासी हॉल मोहल्ला रजवन टोंक।
2. मोहम्मद आबिद पुत्र स्व० मोहम्मद युनूस जाति मुसलमान निवासी हॉल मोहल्ला रजवन टोंक।
3. मोहम्मद जाहिद पुत्र स्व० मोहम्मद युनूस जरिये मुख्तार खास मोहम्मद आरिफ पुत्र स्व० मोहम्मद युनूस जाति मुसलमान निवासी हॉल मोहल्ला रजवन टोंक।

-वादीगण

बनाम

1. शोजी पुत्र स्व० रतनलाल जाति माली निवासी ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक।
2. शोभाग पुत्र स्व० रतनलाल जाति माली निवासी ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक।
3. नरेश पुत्र स्व० रतनलाल जाति माली निवासी ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक।
4. अनोख पत्नि स्व० रतनलाल जाति माली निवासी ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक।
5. गल्ली पुत्री जमनालाल जाति माली निवासी ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक।
6. प्रभू पुत्र जमनालाल जाति माली निवासी ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक।
7. भंवरलाल पुत्र गोपी जाति माली निवासी ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक।
8. शंकर पुत्र गोपी जाति माली निवासी ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक।
9. बाबू पुत्र गोपी जाति माली निवासी ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक।
10. जगदीशी पत्नि गोपी जाति माली निवासी ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक।
11. सियाराम पुत्र हरिराम जाति माली निवासी ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक।
12. नरेन्द्र पुत्र हरिराम जाति माली निवासी ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक।
13. तुलसी पत्नि हरिराम जाति माली निवासी ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक।
14. रामदेवा पुत्र कैलाश जाति माली निवासी ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक।
15. सुखराज पुत्र कैलाश जाति माली निवासी ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक।
16. प्रेम पत्नि कैलाश जाति माली निवासी ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित- श्री हेमराज पूनिया -वकील वादीगण

दावा

बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा हमेशा-हमेशा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी एंव कब्जे काशत भूमि आराजी खसरा नम्बर 190 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम मीरगंज शेरपुर तहसील व जिला टोंक में वादीगण के कब्जे काशत में किसी भी रूप में मजाहमत मदाखलत नहीं करें ओर ना ही करावें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी किया गया।

(रतनलाल योगी)

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	100	00	स्टाम्प अर्जी दावा	100	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					